

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 जनवरी 2015—पौष 13, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2015

क्र. एफ-बी-1-28-2014-2-पांच, (3).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) तथा मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियमों के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (8)-बी-36-2009-2-पांच, भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2010 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, बीयर पर स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा मध्यप्रदेश में विक्रय के प्रयोजन से स्वयं के ब्रांड के बीयर विनिर्माण पर बॉटलिंग फीस रुपये 5.00 प्रति बल्क लीटर विहित करती है.

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2015

क्र. बी-1-28-2014-2-पांच, (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक, क्रमांक बी-1-28-2014-2-पांच, (3), दिनांक 3 जनवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd January 2015

No. F-B-1-28-2014-2-V (3).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and Rule 14 of the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules and in partial supersession of this department's Notification No. (8) B-1-36-2009-2-V, Bhopal dated 3rd April, 2010, the State Government, hereby, prescribes Bottling fee Rs. 5.00 per Bulk litre on Beer manufactured by local manufacturers of their own brands for purpose to sale in the Madhya Pradesh.

2. This Notification shall come into force from the date of publication in Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.